

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक एफ 11(37)आरएण्डपी/सान्याअवि/2012-13/39586

दिनांक 01 अप्रैल, 2013

आदेश.

विभाग के पत्रांक एफ11/आरएण्डपी/अन्तर्जातीय विवाह/सकवि/61/81-82/54961-55111, दिनांक 27.11.2006, द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को प्रोत्साहन देने की डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह सहायता योजना के दिशा-निर्देश के बिन्दू संख्या 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जात है :-

2. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अन्तर्जातीय विवाह से जुड़ने पर देय प्रोत्साहन राशि 50,000/- रूपये (अक्षरें पचास हजार रुपये मात्र) से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये (अक्षरें पांच लाख रुपये मात्र) किये जाते हैं। जिसका भुगतान निम्न प्रकार से देय होगा :-

क्र.स.	विवरण	राशि लाखों में प्रोत्साहन राशि का विवरण
(अ)	पति-पत्नि के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक से 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट। (समय पूर्व अदेय)	रु. 2.50
(ब)	घरेलू उपयोग की चीजों की खरीद के लिये संयुक्त बैंक खाते में नगद सहायता।	रु. 2.50
	कुल राशि	रु. 5.00

शेष नियम यथावत रहेंगे। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिनांक 01.04.2013 को या इसके पश्चात् अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को देय होगा।

उक्त संशोधित आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161300539 दिनांक 29.03.2013 के अनुसरण में एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

आयुक्त एवं सेशन सचिव

